तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 60 / 2017 अमरचन्द आदि बनाम स्टेट आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
23.07.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के दाहराते हुए प्राथी को अपनी कृषि भूमि मे आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 2 ता 5 की भूमि चक 78 आर.बी मु.नं. 106 प.नं. 212/273 के कि.नं. 4 में .013है. एवं कि.नं. 3 मे 20 X 20 फुट रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया ने अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत कराने के लिये न्यायालय में बअनवानी सरस्वती देवी बनाम स्टेट आदि प्र.सं. 53/17 पेश किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी(अप्रार्थी सं. 2) को वांछित रास्ता न देने एवं कार्यवाही बाधित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया। उभय पक्ष के अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट मू. अमिलेख निरीक्षक भादवावाला ने प्रार्थीगण द्वारा मु.नं. 101 के कि.नं. 19 ता 23 में जाने के लिए मु.नं. 101 के उत्तर में चिपते मु.नं. 84 में कि.नं. 21 ता 25 में चल रहे स्वीकृतशुदा रास्ते से मु.नं. 101 में कि.नं. 1–10–11–20–21 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की हैं ताकि मु.नं. 106 के कि. नं. 1–10–11–20–21 के स्वीकृतशुदा रास्ते से मिलान हो जाए। अथवा चक 78 आर.बी.बी. के मु.नं. 7 के कि.नं. 1 के कोने का व मु.नं. 106 के कि.नं. 1ता 5 मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की हैं ताकि मु.नं. 106 के कि.नं. 1–10–11–20–21 के स्वीकृतशुदा रास्ते से जुड़ जाए व इसी चक के मु.न. 119 को भी रास्ता उपलब्ध हो जाए। रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा का अवलोकन किया। चूकि प्रार्थीगण को काश्त कार्य हेतु रास्ता की अत्यधिक आवश्यक्ता हैं। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा. पत्र मे प्र.स. 53/17 का उल्लेख किया हैं। इस प्रकरण मे वर्तमान मे अप्रार्थी की मांग पर विचार नही किया जा सकता। उक्त प्रकरण का निर्णय अलग से किया जाना हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 78 आर.बी मु.नं. 106 प.नं. 212/273 के कि.नं. 4 मे .013है. एवं कि.न 3 मे 20 X 20 फुट रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगण रास्ते मे आई भूमि के बदले मुआवजे के तौर पर अप्रार्थीगण को रास्ते मे आई भूमि के डी.एल.सी. दर का दो गुणा राशि का भुगतान करेगा। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर प्रार्थीगण से राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को भुगतान करें। तथा उक्त स्वीकृतशुदा गै.मु रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। आदेश सुनाया गया। इसी आशय का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसले मे शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner